झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका स०. 921/2024

अविजीत कुमार सिंह @अशोक सिंह @अभिजीत सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष, ईश्वरी सिंह @ईश्वर प्रसाद सिंह का पुत्र, मंदिर लाइन का निवासी, पीपल पेड़ के पास, आजाद बस्ती, जेमको, बीरशनगर, छोटा गोबिंदपुर, डाक घर और थाना.-टेल्को, टाउन-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

... **याचिकाकर्ता**

बनाम

झारखंड राज्य

... **उत्तरदाता**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री वंदना भारती, एडिशनल पी. पी

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें टेल्को पी. एस. केस न0 .175/2017 के मामले में पारित आदेश को रद्द करने और अलग रखने का अनुरोध किया गया है और जिसके संबंध में जी. आर. न०.2411/2017 के अनुरूप

दिनांकित 29.01.2018 आदेश भी पारित किया गया। और टेल्को पी.एस केस नंबर 175 / 2017 के संबंध में पारित आदेश भी 2017 का जी.आर नंबर 2411/2017 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्काल आपराधिक विविध याचिका दो प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना को रद्द करने के लिए और केवल 29.01.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए सीमित कर दिया है, जो कि टेल्को पी.एस केस नंबर 175 / 2017 के संबंध में पारित किया गया है, जो कि 2017 के जी.आर नंबर 2411 के अनुरूप है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने के मामले में दिनांक 10-11-2010 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी की है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उक्त मामले के जांच अधिकारी ने उक्त मामले में आई. डी. 1 की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के लिए जाने-माने न्यायिक मजिस्ट्रेट जमशेदपुर के समक्ष आई. डी. 2 पर एक मांग दायर की है और जाने-माने न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस बात का कोई संतोष धारा किए बिना ऐसी घोषणा जारी की है कि क्या याचिकाकर्ता फरार है या याचिकाकर्ता के पेश होने का समय और स्थान निर्धारित किए बिना अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना और इस संतुष्टि को धारा किए बिना कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है, सी. आर. पी. सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और याचिकाकर्ता के लिए समय और स्थान का उल्लेख किए बिना-जो उक्त मामले का आरोपी व्यक्ति है, उपस्थित होने के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत

किया जाता है कि 2017 के टेल्को पी. एस. केस संख्या.175 के संबंध में 2017 के जी. आर.संख्या.2411 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित किया गया दिनांक 29.01.2018 आदेश जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने की इच्छा हुई है जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है। कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

6. विद्वान अपर पी.पी. राज्य के लिए उपस्थित होने से टेल्को पीएस केस नंबर 175 ऑफ 2017 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 को रद्द करने के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया जाता है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित 2017 के जीआर नंबर 2411 के अनुरूप है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित है, जमशेदपुर; कानून के अनुसार नहीं होने के कारण और यह प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, यह दर्शाता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए संतुष्ट होने के लिए रिकॉर्ड में सामग्री उपलब्ध थी कि इस तरह की उद्घोषणा और कार्यवाही जारी करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस सीआरएमपी को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

7. बार द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड द्वारा उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो सी. आर. पी. सी की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करती है, उसे अपना संतोष धारा करना चाहिए कि जिस आरोपी के संबंध द्वारा सी. आर. पी. सी की धारा 82 के तहत घोषणा की गई है, वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रहा है और यदि अदालत सी. आर. पी. सी की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने का फैसला करती है तो उसे आदेश द्वारा ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना चाहिए। जिसके द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की जाती है। जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, क्योंकि जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी के विद्वत न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने न तो अपना संतोष धारा किया है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान निर्धारित किया है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रथम श्रेणी के विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सी. आर. पी. सी. की धारा 82 के तहत उक्त घोषणा जारी करके घोर अवैधता की है।इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां टेल्को पी. एस. संख्या. 175/2017 के मामले के संबंध में 2017 के जी. आर. संख्या.2411 के संबंध में पारित किया गया 29.01.2018 का आदेश विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने की खुशी हुई है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, उसे रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।8. तदनुसार, 2017 के टेल्को पी. एस. केस संख्या.175 के संबंध में 2017 के जी. आर. संख्या.2411 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांकित 29.01.2018 आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी की गई है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, उसे रद्द कर दिया गया है।

9. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकते हैं।

10. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका केवल उपरोक्त सीमा तक ही मान्य है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
15 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।